FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ______ उपखण्ड अधिकारी मुकाम ______

भेवरलाल बिनाम भगवी देवी

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र अं. धारा 212 रा.का. नं. 177 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
21/6/2021	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर एक तरफा बहस सुनने की प्रार्थना की जिसे स्वीकार किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 401 ख. नं. 201 रकबा 0.95 है0 व ख. नं. 228 रकबा 1. 65 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.60 है0 वाके ग्राम बीजवाड़, जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थी के 1/2 हिस्से पर बतौर खातेदार काबिज है व अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से पर भी प्रार्थी काबिज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 आपस में माता व पुत्र है। प्रार्थी ही अप्रार्थी संख्या 1 की समस्त प्रकार से देखभाल, सेवा, भरण–पोषण करता चला आ रहा है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में होने के कारण आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता है साथ ही लगान देने में आपस में झगड़ा होता रहता है। इस बाबत अप्रार्थी को विधिवत सहमति से तकासमा करने हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने इसके लिए मना कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध महिला होने के कारण सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगी है जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर अपने हिस्से की भूमि को बिना तकासमा हुए बेचान करने पर आमादा है जबकि सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जाकाश्त है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त कृत्य कर दिया तो आपसी लड़ाई झगड़ा व मुकदमेबाजी बढेगी। इस कारण से न्यायालय में वाद व प्रार्थना पेश करना पड़ा। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त कृत्य नहीं करे। पत्रावली का सरसरी तौर पर अवलोकन व अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वर्णित आराजीयात में राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखते है तथा अभी तक उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा नहीं हो रखा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया जाना उचित है । अतः अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता [signature]	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो ... की तामील में जारी
	है कि आराजी खाता संख्या 401 ख. नं. 201 रकबा 0.95 है0 व ख. नं0 228 रकबा 1.65 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.60 है0 वाके ग्राम बीजवाड़ में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाए रखे। इस बाबत कोई आपति हो तो न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी हो। पत्रावली दिनांक 05.07.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	
5/7/21	PO सा. … टोंक पधारे है। पत्रावली दिनांक 22/7/21 को पेश हो।	
22/7/2021	PO सा. अवकाश … दौरे पर मादर/टोंक पधारे है। पत्रावली दिनांक .... को पेश हो।	
17/1/22 Not press	17/1/22 आज प्रार्थी ने अर्जी पेश कर NOT Press लिखकर पत्रावली को आगे नहीं चलाने की प्रार्थना की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की प्रार्थना पर पत्रावली NOT Press से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार पेश नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	

Scanned with CamScanner